

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 14.01.2026

नगर निकाय के वार्ड गठन/परिसीमन की प्रक्रिया

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद् दानापुर निजामत एवं फुलवारीशरीफ के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन की प्रक्रिया परिसीमन के उपरांत दिनांक 23.12.2025 को प्रारूप प्रकाशन के साथ प्रारम्भ की गई थी। इस संबंध में वार्ड गठन/परिसीमन के दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि 13.01.2026 तक निर्धारित थी। जिसके उपरांत कुल 1099 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई, जिसमें अब तक कुल लंबित शिकायत 1058 एवं निष्पादित शिकायत 41 है। प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन निर्धारित अंतिम तिथि 17.01.2026 तक किया जाना है।

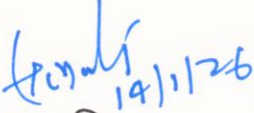
क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद् दानापुर निजामत एवं फुलवारीशरीफ के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन एवं गठन की कार्यक्रम विवरणी:

- प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन : 26.12.2025 से 17.01.2026 तक
- आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति : 19.01.2026 से 24.01.2026 तक
- वार्डों की सूची तैयार कर उसपर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सीमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन : 27.01.2026 से 02.02.2026
- अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : 10.02.2026 तक

दावा, आपत्ति या सुझाव हेतु आवेदन की प्रक्रिया :

- ऑफलाइन : नागरिक अपने दावा/आपत्ति/सुझाव से संबंधित प्रपत्र/आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय या प्राधिकृत पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी (नगर पंचायत/नगर परिषद्) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- ऑनलाइन : आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। सफल पंजीकरण पर आवेदनकर्ता को यूनिक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार संबंधित नगर पंचायत के सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे वार्ड गठन की इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार